72

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक 6657/विस/स्था./2006 रायपुर, दिनांक 29.5.06

कार्यालय सूचना

सचिवालय के कतिपय अधिकारी/कर्मचारी बैंक अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं से बिना सचिवालय की जानकारी एवं अनुमति के ऋण प्राप्त कर रहे हैं और पश्चात् ऋण का भुगतान नहीं कर रहे हैं ।

शासकीय सेवक आचरण नियमों के अंतर्गत बिना अनुमति के ऋण प्राप्त करना नियमों का उल्लंघन होकर, संबंधित के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही के योग्य कृत्य है, अतः समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि बिना पूर्व अनुमति के किसी भी बैंक अथवा अन्य संस्थाओं से ऋण प्राप्त नहीं किया जाए ।

जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने रायपुर अथवा अन्य किसी स्थान के बैंक अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त किया हो तो ऋण कब प्राप्त किया, कितनी राशि प्राप्त की, प्रतिमाह कितनी किश्त देना होती है ? आदि की जानकारी आवश्यक रूप से दिनांक 2 जून, 2006 तक स्थापना शाखा में दें । इस स्थिति के पश्चात् यदि किसी अन्य स्रोत से ऋण संबंधी कोई जानकारी अथवा शिकायत प्राप्त होगी तो संबंधित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जा सकती है, जिसमें सेवा से पृथक किया जाना भी सम्मिलित हो सकता है ।

29/5/06

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

(73)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक 6449/वि.स./स्था./2008 रायपुर, दिनांक : 17 6 08

कार्यालय–सूचना

यह जानकारी में आया है कि सचिवालय के कतिपय कर्मचारियों ने निजी व्यक्तियों से ऋण लिया है और उस ऋण के ब्याज को चुकाने में ही उनको प्राप्त होने वाली आय का अधिकांश हिस्सा चला जाता है ।

बिना सचिवालय की अनुमति के बाहरी संस्थाओं से ब्याज पर उधारी नहीं लेने के संबंध में पूर्व में ही कार्यालय सूचना क्रमांक 6657 दिनांक 29.05.2006 जारी की गई है ।

पुनः हिदायत दी जाती है कि सचिवालय में ब्याज के आधार पर कोई भी कर्मचारी उधार का लेन–देन न करें । इनके साथ ही कोई समूह अथवा संस्था भी इसँ प्रकार का लेन–देन न करें ।

एतद् पश्चात उक्त के संबंध में कोई शिकायत अथवा जानकारी प्राप्त होगी तो संबंधितों के विरूद्ध आचरण नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाऐगी ।

आदेश से,

17/06

O/C अनुसंधान अधिकारी,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

पृ.क्रमांक 6450/वि.स./स्था./2008 रायपुर, दिनांक 17 6 08

प्रतिलिपि :–

01. माननीय अध्यक्ष महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर को माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
02. स्टॉफ ऑफिसर, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर को सचिव महोदय के सूचनार्थ ।
03. समस्त अधिकारी/अनुभाग अधिकारी/शाखा प्रभारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

17/06

अनुसंधान अधिकारी,
O/C छत्तीसगढ़ विधान सभा.

Karyalay Suchna/Vinay Shrivastava